बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ0बजट– आवंटन–27/2010 /कृ0, पटना, दिनांक सितम्बर, 2010

प्रेषक,

कमलेश्वर गिरि,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार पटना।

विषय :– **वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अनुदानित दर पर सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण मद में राज्यांश मद से 652.00 लाख रूपये व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत अर्थात् 4,23,80,000/–रूपये (चार करोड़ तेईस लाख अस्सी हजार रूपये) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–5215 दिनांक–06.09.2010 के द्वारा वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अनुदानित दर पर सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण मद में राज्यांश मद से 652.00 लाख रूपये व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि से तत्काल व्यय हेतु स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत अर्थात् 4,23,80,000/–रूपये (चार करोड़ तेईस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र आवंटित की जाती है।

2. इस 4,23,80,000/–रूपये (चार करोड़ तेईस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की राशि बजट शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–राज्य योजना–800–अन्य व्यय–मांग संख्या–1–0110 उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, विपत्र कोड P2401008000110 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-5034 विषय शीर्ष–5001–अन्य प्रभार में मूल एवं प्रथम अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष–2010–11 में उपबंधित राशि कुल–1600.00 लाख रू० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि) 2 दिनांक–17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. इसमें कृषि उत्पादन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(कमलेश्वर गिरि)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 78 आ0/ब0 /कृ0, पटना, दिनांक 30 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कमलेश्वर गिरि 24/9/10
सरकार के अपर सचिव।

24.9.10